NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 18-10-2024

विषय सूची

उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को बरकरार रखा

ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता

SCO शिखर सम्मेलन 2024

आधुनिक युद्ध में विश्वसनीय AI की आवश्यकता

"समर्थ" (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना)

संक्षिप्त समाचार

बुशवेल्ड मिनरल्स

मेरा होउ चोंगबा (Mera Hou Chongba)

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

भारत ने IDEAS के तहत पहली बार रुपया आधारित ऋण सुविधा प्रदान की

हूलॉक गिब्बन

वन्यजीव बोर्ड ने लद्दाख में 5 सड़कों को मंजूरी दी

उच्चतम न्यायलय ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को बरकरार रखा

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से निर्णय देते हुए नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

पृष्ठभूमि

- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A, 1 जनवरी, 1966 के बाद लेकिन 24 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है।
    - यह प्रावधान "असम समझौते" नामक समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम में शामिल किया गया था।
- धारा 6A के तहत, 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले और राज्य में "सामान्य रूप से निवासी" रहे विदेशियों को भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे।

प्रावधान पर व्यक्त की गई चिंता

- कट-ऑफ तिथि असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों के लिए शेष भारत की तुलना में नागरिकता के लिए एक अलग मानक प्रदान करती है (जो जुलाई 1948 है) और संविधान के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन करती है।
- साथ ही यह प्रावधान राज्य में जनसांख्यिकी को परिवर्तित करके अनुच्छेद 29 के तहत असम के स्वदेशी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

असम समझौता क्या है?

- असम समझौते पर 1985 में भारत संघ, असम सरकार, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच हस्ताक्षर हुए थे।
- असम समझौते के विभिन्न खंडों को लागू करने के लिए वर्ष 1986 के दौरान "असम समझौते के कार्यान्वयन विभाग" के नाम से एक नया विभाग स्थापित किया गया।
- समझौते में 24 मार्च, 1971 को कट-ऑफ के रूप में निर्धारित किया गया था। जो कोई भी उस तारीख को आधी रात से पहले असम आया था, वह भारतीय नागरिक होगा, जबकि जो लोग उसके बाद आए थे, उन्हें विदेशी माना जाएगा।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने में उसी कट-ऑफ का प्रयोग किया गया था।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य में विविध जातीय समूहों की उपस्थिति मात्र से संविधान के अनुच्छेद 29(1) (अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा) का उल्लंघन नहीं होता।
- धारा 6A एक वैधानिक हस्तक्षेप है जो भारतीय मूल के प्रवासियों की मानवीय आवश्यकताओं और भारतीय राज्यों की आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं पर ऐसे प्रवास के प्रभाव के बीच संतुलन स्थापित करता है।

निष्कर्ष

- इस निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के मामलों पर संसदीय सर्वोच्चता को रेखांकित किया।
- इसने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत संशोधनों के लिए केंद्र सरकार के बचाव को भी मजबूत किया, जिसे वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

- इसने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 में संशोधन किया, जिसमें छह गैर-मुस्लिम समुदायों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई से संबंधित अनिर्दिष्ट प्रवासियों को नागरिकता की सुविधा के लिए दो प्रमुख परिवर्तन किए, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे।
- इसने नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने की अवधि को 11 वर्षों के निरंतर प्रवास की मौजूदा आवश्यकता से घटाकर पांच वर्ष कर दिया।
- हालांकि, पाकिस्तानी हिंदू वैसे भी नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और धारा 6 (1) के तहत नागरिकता के लिए पात्र थे।
- CAA ने केवल आवेदन प्रक्रिया को तेज करने में सहायता की। नियम निदेशक, जनगणना कार्यों की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति को नागरिकता प्रदान करने का अंतिम अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि पोर्टल पर ऑनलाइन दायर आवेदनों की जांच डाक विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति (DLCs) द्वारा की जाती है

Source: IE

ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता

समाचार में

- उच्चतम न्यायालय ने नियमित न्यायालयों के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे को देखते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यावहारिकता पर प्रश्न उठाया।

ग्राम न्यायालय के बारे में

- भारतीय विधि आयोग ने ग्रामीण नागरिकों के लिए न्याय तक सस्ती और त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था।
- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2 अक्टूबर, 2009 को अधिनियमित किया गया था, जो कुछ पूर्वोत्तर राज्यों और निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।
    - यह अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।

मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य:

- **अवस्थिति:** मध्यवर्ती पंचायत में मुख्यालय; न्यायाधिकारी मामलों की सुनवाई के लिए गांवों का दौरा कर सकते हैं।
- **पहुंच:** ग्रामीण समुदायों के दरवाजे पर सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- **स्थापना:** प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत या समीपवर्ती पंचायतों के समूहों के लिए उनके मुख्यालय में स्थापित।
- **प्रक्रियाएँ:** समझौता पर बल देते हुए, सारांश प्रक्रिया का उपयोग करके निर्दिष्ट सिविल और आपराधिक मामलों को संभालना।
- **लचीलापन:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा सख्ती से बाध्य नहीं, प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों द्वारा निर्देशित।

चुनौतियाँ

- **व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ:** उच्चतम न्यायलय ने नियमित न्यायालयों के अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे को देखते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यावहारिकता पर प्रश्न उठाया।
    - पूरे भारत में लक्षित 2,500 ग्राम न्यायालयों में से केवल 314 ही चालू हैं।
- **वित्त पोषण संबंधी समस्याएँ:** राज्य सरकारें वर्तमान न्यायालयों को वित्त पोषित करने के लिए संघर्ष करती हैं, जिससे यह असंभव हो जाता है कि वे अतिरिक्त ग्रामीण न्यायालयों का समर्थन कर सकें।
- **सीमित प्रभावशीलता:** ग्राम न्यायालयों की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं, क्योंकि कुछ मजिस्ट्रेट बहुत कम मामलों को संभालते हैं (उदाहरण के लिए, कर्नाटक में एक मजिस्ट्रेट ने चार वर्षों में केवल 116 मामलों का प्रबंधन किया)।
- **उच्च न्यायालयों पर संभावित भार:** न्यायालय ने चेतावनी दी कि इन ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना से उच्च न्यायालयों में अपील और रिट याचिकाओं में वृद्धि हो सकती है, जो जिला न्यायालयों में भीड़भाड़ कम करने के इच्छित उद्देश्य को प्रभावित करेगी।

सुझाव

- उच्चतम न्यायालय ने अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित करने के बजाय नियमित न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया।
- न्यायालय ने प्रस्ताव दिया कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना सभी राज्यों में एक समान अधिदेश के बजाय विशिष्ट राज्य की जरूरतों के आधार पर होनी चाहिए।

Source: HT

SCO शिखर सम्मेलन 2024

सन्दर्भ

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और छह अन्य सदस्य देशों ने भाग लिया।

- विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक के लिए इस्लामाबाद गए, जो नौ वर्षों में उनकी पहली ऐसी यात्रा थी।

मुख्य निष्कर्ष

- क्षेत्रीय संप्रभुता के मुद्दों के कारण, भारत चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का विरोध करने वाला एकमात्र SCO सदस्य बना हुआ है।
  - SCO की संयुक्त विज्ञप्ति में चीन की BRI के लिए समर्थन की पुष्टि की गई।
- शिखर सम्मेलन में रूस और ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना की गई, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक संबंधों के लिए हानिकारक माना गया।
- भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चाओं से क्रिकेट संबंधों की संभावित बहाली का संकेत मिला, हालांकि ये अभी भी शुरुआती दौर में हैं।
- पाकिस्तान का संदर्भ देते हुए, विदेश मंत्री ने कहा, "यदि सीमा पार की गतिविधियाँ आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की विशेषता रखती हैं, तो वे समानांतर रूप से व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की संभावना नहीं रखती हैं।"

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- शंघाई फाइव का उदय 1996 में 4 पूर्व USSR गणराज्यों और चीन के बीच सीमा निर्धारण और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला से हुआ था।
- कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।
- 2001 में समूह में उज्बेकिस्तान के प्रवेश के साथ, शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।
- **उद्देश्य:** मध्य एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को रोकने के प्रयासों के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना।
- **सदस्य:** चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और चार मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
- **पर्यवेक्षक का दर्जा:** अफगानिस्तान और मंगोलिया।
- **भाषा:** SCO की आधिकारिक भाषाएँ रूसी और चीनी हैं।
- **संरचना:** SCO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (CHS) है, जो वर्ष में एक बार मिलती है। संगठन के दो स्थायी निकाय हैं - बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।

भारत के लिए महत्व

- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** SCO आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद सहित सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो भारत के लिए अपनी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** संगठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो भारत के लिए व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाता है, विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों के साथ।

- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** SCO में भारत की सदस्यता मध्य एशिया में इसके प्रभाव को बढ़ाने में सहायता करती है और इस क्षेत्र में चीन एवं पाकिस्तान की उपस्थिति को संतुलित करती है।
- **मध्य एशिया:** SCO भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सदस्यता और फोकस मध्य एशिया पर बल देते हैं - एक ऐसा क्षेत्र जहां भारत संबंधों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है, लेकिन इसकी पहुंच के साथ एक अंतर्निहित बाधा का सामना करना पड़ता है।
    - हाल के वर्षों में, भारत ने साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को संकेत देने के लिए मध्य एशियाई नेताओं के साथ वार्ता आयोजित की है - और विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा उस संदेश को बढ़ाने के लिए है।

चुनौतियां

- **चीन-पाकिस्तान धुरी:** SCO के अंदर चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत साझेदारी भारत की रणनीतिक स्थिति को जटिल बनाती है, क्योंकि कई बार यह क्षेत्रीय सुरक्षा चर्चाओं में भारत के प्रभाव को सीमित करती है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे सीमा विवाद और भू-राजनीतिक तनाव SCO चर्चाओं में भी फैल जाते हैं, जिससे भारत के लिए रचनात्मक रूप से जुड़ना मुश्किल हो जाता है।
- **आर्थिक विकास से ज़्यादा सुरक्षा पर ध्यान:** SCO का सुरक्षा मुद्दों पर प्राथमिक ध्यान कभी-कभी आर्थिक और विकासात्मक सहयोग पर प्रभावशाली हो जाता है, जो इस क्षेत्र में भारत के हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

- भारत को एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा क्योंकि SCO की गतिशीलता बदल रही है।
- विदेश मंत्री की यात्रा का उद्देश्य SCO के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का संकेत देना था, न कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करना।

Source: IE

आधुनिक युद्ध में विश्वसनीय AI की आवश्यकता

सन्दर्भ

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों के लिए विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ETAI) फ्रेमवर्क और दिशानिर्देशों का मूल्यांकन शुरू किया।

परिचय

- ETAI फ्रेमवर्क पाँच व्यापक सिद्धांतों पर केंद्रित है:
    - विश्वसनीयता और मजबूती,
    - सुरक्षा और संरक्षा,
    - पारदर्शिता,
    - निष्पक्षता और
    - गोपनीयता।

- यह फ्रेमवर्क और दिशा-निर्देश डेवलपर्स और मूल्यांकनकर्ताओं को भरोसेमंद AI बनाने और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है जो ऐसे स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जो ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को मॉडल बनाने या यहां तक कि उनमें सुधार करने की अनुमति देती है।

रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- **खुफिया जानकारी और निगरानी:** AI सैन्य विश्लेषकों को खतरों का पता लगाने, पैटर्न को पहचानने और वास्तविक समय में सूचित निर्णय लेने के लिए उपग्रहों, ड्रोन आदि के माध्यम से एकत्र किए गए विशाल मात्रा में डेटा को संसाधित करने में सहायता करता है।
- **स्वायत्त हथियार प्रणाली:** ड्रोन, मानव रहित लड़ाकू वाहन और मिसाइल सिस्टम जैसी AI-संचालित प्रणालियाँ स्वायत्त रूप से संचालित होती हैं, जिससे युद्ध परिदृश्यों में मानवीय हस्तक्षेप कम होता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** AI उपकरण विफलताओं की भविष्यवाणी करके, इन्वेंट्री प्रबंधन को स्वचालित करके और महत्वपूर्ण आपूर्ति की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करके रसद को अनुकूलित करता है।
- **साइबर सुरक्षा:** AI कमज़ोरियों की पहचान करने, वास्तविक समय में साइबर हमलों का पता लगाने और हानि को कम करने के लिए स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है। AI-संचालित प्रणालियाँ संवेदनशील सैन्य बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा करते हुए पूर्वानुमान लगाने की क्षमता प्रदान करती हैं।
- **निर्णय लेने में सहायता:** AI विभिन्न युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करके और परिणामों की भविष्यवाणी करके युद्ध में निर्णय लेने को बढ़ाता है।

आधुनिक युद्ध में विश्वसनीय AI की आवश्यकता

- नैतिक दुविधाएँ उन स्थितियों में उत्पन्न होती हैं जहाँ AI सिस्टम गैर-लड़ाकों को खतरे के रूप में गलत तरीके से व्याख्या करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का संभावित उल्लंघन होता है।
- 2020 में, संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया के गृहयुद्ध में स्वायत्त ड्रोन के उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** AI सिस्टम साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हैं, जहाँ विरोधी गलत परिणाम देने या स्वायत्त सिस्टम को हाईजैक करने के लिए एल्गोरिदम में हेरफेर कर सकते हैं।
- **जवाबदेही:** यदि AI-संचालित स्वायत्त प्रणाली संपार्श्विक क्षति का कारण बनती है या युद्ध के कानूनों का उल्लंघन करती है, तो जिम्मेदारी सौंपना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। LAWS (घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली) जैसी स्वायत्त सैन्य प्रणालियों ने जवाबदेही के बारे में परिचर्चा शुरू कर दी है।
- **AI निर्णय लेने में पूर्वाग्रह:** चेहरे की पहचान करने वाली तकनीकों के विकास के दौरान, कुछ AI सिस्टम ने नस्लीय पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया, कुछ जातीय समूहों के व्यक्तियों की गलत पहचान की।

आगे की राह

- जबकि रक्षा क्षमताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में AI की अपार क्षमता है, सैन्य अभियानों में इसका एकीकरण चुनौतियों से भरा है।
- इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कठोर नैतिक दिशा-निर्देशों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत तकनीकी सुरक्षा उपायों और जवाबदेही ढाँचों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा में AI का उपयोग जिम्मेदारी से और सुरक्षा को खतरे में डाले बिना किया जाए।

Source: BL

"समर्थ" (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना)

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार ने कपड़ा-संबंधी कौशल में 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपये के बजट के साथ समर्थ योजना को दो वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26) के लिए बढ़ा दिया है।

समर्थ योजना

- समर्थ वस्त्र मंत्रालय का मांग-संचालित और प्लेसमेंट-उन्मुख अम्ब्रेला स्किलिंग कार्यक्रम है।
- योजना का उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना है, जिसमें कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल है।
- योजना परिधान और परिधान क्षेत्रों में मौजूदा श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार के लिए अपस्किलिंग/रीस्किलिंग कार्यक्रम भी प्रदान करती है।
- **उपलब्धि:** योजना के तहत, 3.27 लाख (जिनमें 88.3% महिलाएं हैं) उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2.6 लाख (79.5%) को रोजगार मिला है।

भारत का वस्त्र उद्योग

- **घरेलू व्यापार में हिस्सेदारी:** भारत में घरेलू परिधान और कपड़ा उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है।
- **वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी:** भारत का कपड़ा और परिधान के वैश्विक व्यापार में 4% हिस्सा है।
- **निर्यात:** वित्त वर्ष 22 में, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था, जिसकी हिस्सेदारी 5.4% थी।
- **कच्चे माल का उत्पादन:** भारत विश्व में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और विश्व का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से आता है।
- **रोजगार सृजन:** यह उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है जो 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और संबद्ध क्षेत्र में 100 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- **क्षेत्र:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड और गुजरात भारत में शीर्ष कपड़ा और परिधान विनिर्माण राज्य हैं।

कपड़ा क्षेत्र में अन्य पहल

- **PM-MITRA:** विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्कों की स्थापना के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना** - देश में मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, MMF फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों के लिए PLI योजना।
- **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS):** विनिर्माण में "शून्य प्रभाव और शून्य दोष" के साथ "मेक इन इंडिया" के माध्यम से रोजगार सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, ऋण से जुड़ी पूंजी निवेश सब्सिडी (CIS) प्रदान करने के लिए 2016 में ATUFS शुरू किया गया था।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

बुशवेल्ड मिनरल्स

समाचार में

- दक्षिण अफ्रीका के बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स की 2 अरब वर्ष पुरानी चट्टान में जीवित सूक्ष्मजीवों की खोज, पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन और हमारे ग्रह से परे जीवन की संभावना को समझने में एक बड़ी सफलता है।

बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स के बारे में

- दक्षिण अफ्रीका के उत्तर-पूर्व में स्थित यह विश्व में सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित स्तरित आग्नेय घुसपैठों में से एक है।
- BIC का निर्माण लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुआ था जब पृथ्वी के मेंटल के भीतर गहरे से मैग्मा धीरे-धीरे सतह के नीचे ठंडा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप आग्नेय चट्टान की कई परतें बन गईं।
- इसमें विश्व के खनन किए गए प्लैटिनम भंडार का 70% हिस्सा है, जो दक्षिण अफ्रीका को प्लैटिनम का अग्रणी वैश्विक उत्पादक बनाता है।

Source: Scitechdaily

मेरा होउ चोंगबा

समाचार में

- मेरा होउ चोंगबा महोत्सव 2024 इम्फाल में मनाया गया।

मेरा होउ चोंगबा

- यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें पहाड़ी और घाटी दोनों ही स्वदेशी समुदाय एक साथ मिलकर मनाते हैं।
- यह एक सदियों पुराना त्यौहार है जो राज्य में राष्ट्रवाद के विकास की एकता को दर्शाता है।
- यह पहली शताब्दी ईस्वी में मणिपुर के देव राजा नोंगडा लैरेन पखांगबा के समय से मणिपुर में मनाया जाता रहा है।
- इसका उद्देश्य मणिपुर की पहाड़ियों और घाटी में स्वदेशी समुदायों के बीच बंधन को मजबूत करना है। इसे मणिपुर में एक सामान्य अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है।

Source: AIR

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

समाचार में

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सिफारिश सरकार से की है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में: नियुक्ति

- भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत की जाती है।
- मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होना चाहिए जिसे इस पद के लिए उपयुक्त समझा जाए।
- निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अगले मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश केंद्रीय विधि मंत्री को करता है, जो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री को भेजता है।
    - यदि वरिष्ठतम न्यायाधीश की योग्यता के बारे में संदेह है, तो अन्य न्यायाधीशों (अनुच्छेद 124(2) के अनुसार) के साथ परामर्श किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति:** जब कोई पद रिक्त होता है तो मुख्य न्यायाधीश प्रक्रिया आरंभ करते हैं और केंद्रीय विधि मंत्री को सिफारिशें भेजते हैं।
    - मुख्य न्यायाधीश सिफारिशों के लिए चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करते हैं।
    - यदि पद रिक्त है तो राष्ट्रपति वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

Source:PIB

भारत ने IDEAS के तहत पहली बार रुपया आधारित ऋण सुविधा प्रदान की

समाचार में

- भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए मॉरीशस को 487.60 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की है।

परिचय

- यह भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS) के तहत पहला ₹-मूल्यवर्गित ऋण है।
- इसका उद्देश्य मॉरीशस में लगभग 100 किलोमीटर पुरानी पानी की पाइपलाइन को बदलना है और इसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रियायती शर्तों पर वित्तपोषित किया जाएगा।
- यह पहल वैश्विक दक्षिण देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो इसके साझेदार देशों की जरूरतों के साथ संरेखित है।

क्या आप जानते हैं ?

- भारत सरकार भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS) के तहत भारतीय एक्ज़िम बैंक के माध्यम से रियायती ऋण (LOCs) के माध्यम से विकास सहायता प्रदान करती है।
  - 32 बिलियन डॉलर मूल्य के 300 से अधिक LOCs 68 देशों को दिए गए हैं, जो रेलवे, सड़क, कृषि और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 600 परियोजनाओं को वित्तपोषित करते हैं।
  - "पड़ोसी पहले" नीति के तहत, पड़ोसी देशों को महत्वपूर्ण LOCs आवंटित किए गए हैं: बांग्लादेश को 7.862 बिलियन डॉलर, नेपाल को 1.65 बिलियन डॉलर, श्रीलंका को 2 बिलियन डॉलर से अधिक, म्यांमार को 745 मिलियन डॉलर और मालदीव को 1.43 बिलियन डॉलर।

Source: AIR

हूलॉक गिब्बन

समाचार में

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने असम में होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य में तेल अन्वेषण के लिए अपनी मंजूरी स्थगित कर दी है, जो हूलॉक गिब्बन के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है।

हूलॉक गिब्बन के बारे में

- **गिब्बन के बारे में:** गिब्बन सभी वानरों में सबसे छोटे और सबसे तेज़ होते हैं।
  - हूलॉक गिब्बन, जो भारत के पूर्वोत्तर में पाया जाता है, दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाले गिब्बन की 20 प्रजातियों में से एक है।
  - गिब्बन अपनी ऊर्जावान आवाज़ के लिए जाने जाते हैं और शुरू में असम में पाए जाते थे।
    - वे दिनचर और वृक्षचर हैं। वे सर्वाहारी हैं।

- **भारत में प्रकार:**
  - प्रारंभ में, प्राणीशास्त्रियों का मानना था कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हूलॉक गिब्बन की दो प्रजातियाँ थीं - पूर्वी और पश्चिमी हूलॉक गिब्बन।
- **खतरे:** हूलॉक गिब्बन के लिए मुख्य खतरा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण होने वाली वनों की कटाई है।
- **संरक्षण स्थिति: IUCN स्थिति:** पश्चिमी हूलॉक गिब्बन को संकटग्रस्त और पूर्वी हूलॉक गिब्बन को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची।

वैश्विक गिब्बन नेटवर्क(GGN)

- GGN की स्थापना एशिया की अद्वितीय प्राकृतिक विरासत के एक प्रमुख तत्व - गायन गिब्बन और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भागीदारी संरक्षण नीतियों, विधानों एवं कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसे पहली बार 2020 में शुरू किया गया था और इसे इकोफाउंडेशन ग्लोबल एवं हैनान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पार्क के माध्यम से चीन में दो संस्थानों द्वारा आयोजित किया गया था।

Source: TH

वन्यजीव बोर्ड ने लद्दाख में 5 सड़कों को मंजूरी दी

सन्दर्भ

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने पांच महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से चार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती हैं, तथा एक सड़क दौलत बेग ओल्डी तक जाती है।

परिचय

- दौलत बेग ओल्डी (DBO) लद्दाख में देश की सबसे उत्तरी सैन्य चौकी है और इसकी सबसे ऊंची हवाई पट्टी का स्थान है।
- कुल मिलाकर, LAC के समानांतर चलने वाली DBO तक जाने वाली 35 किलोमीटर की नई सड़कों को अधिकृत किया गया है।
- इनमें से एक प्रमुख खंड DS-DBO से सासेर-ब्रांगसा-गपशान तक 7.75 किलोमीटर लंबी लिंक रोड है, जिसका निर्माण 17,000 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा।

महत्व

- वन्यजीव मंजूरी रक्षा मंत्रालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो LAC के साथ अपने बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ा रहा है।
- वर्तमान DS-DBO मार्ग, 255 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो LAC से लगा हुआ है और चीनी कब्जे वाले क्षेत्र की दृष्टि में रहता है।
- यह परिचालन आवश्यकताओं के लिए तेजी से सेना और संसाधनों की आवाजाही के लिए एक विकल्प प्रदान करता है, जो चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से लगभग 100 किमी दूर स्थित है।

Source: IE

■■■■